कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश संख्या 35 /1–15 देहरादून दिनांक, 09 मार्च, 2018.

कार्यकारी आदेश

उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 यथा संशोधित 2010 के नियम–4(1) के परन्तुक में दिये गये अधिकार का उपयोग करते हुये अधोहस्ताक्षरी, जो कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 2016 के अन्तर्गत उप वन क्षेत्राधिकारी/डिप्टी रेंजर, वन दरोगा/फारेस्टर तथा वन आरक्षी/फारेस्ट गार्ड के पदों के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, निम्न पदों पर नियुक्त कार्मिकों के निलम्बन हेतु उनके सम्मुख अंकित प्राधिकारियों को इस नियम के अधीन अपनी शक्ति प्रत्यायोजित (Delegate) करते हैं :–

क्र0सं0	पदनाम	निलम्बन हेतु अधिकृत प्राधिकारी का नाम
1	उप वन क्षेत्राधिकारी/डिप्टी रेंजर	वन संरक्षक/कार्यालयाध्यक्ष (वन संरक्षक से अनिम्न)
2	वन दरोगा/फारेस्टर	वन संरक्षक/कार्यालयाध्यक्ष (वन संरक्षक से अनिम्न)
3	वन आरक्षी/फारेस्ट गार्ड	प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष (प्रभागीय वनाधिकारी से अनिम्न)

09.03.2018
(मोनिष मल्लिक)
नियुक्ति प्राधिकारी/प्रमुख वन संरक्षक,
मा0सं0वि0 एवं का0प्र0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश संख्या 35 /1–15 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।

09.03.2018
(मोनिष मल्लिक)
नियुक्ति प्राधिकारी/प्रमुख वन संरक्षक,
मा0सं0वि0 एवं का0प्र0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।